

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 49 / प्र०अ०-गवन / जोग-1 / 2011-12 दिनांक ०५/०६/२०१२

### विनियमितीकरण/अनुमति-पत्र

यह चैनियमिटीकरण रुपये ८०००-१०० नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत विनियमित तथा धारा 14 एवं 15 के अन्तर्गत नियम की अनुमति दी जा रही है, किन्तु अर्थ अ० न याज्ञा शाहिये कि उत्तर भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र विनियमें ५८ प्रमतादित मान पर निर्धारण अनुमति किया जा रहा है, इन्हीं किसी प्रकार न याज्ञा शाहिये कि विनियमित भवन मानचित्र विनियम में ५८ प्रमतादित मान पर व्यवसायिक भवन मानचित्र के किसी भावाना आधिकारी या व्यवित अभ्यास की कोई अरार नहीं। अशांत यह अनुमति किसी के मिटेकरण या रामित्य के अधिकारे के लिए कोई प्राप्त न रहेगी।

श्रीमती नेता केसरवानी पत्नी श्री अतीश केसरवानी द्वारा पार्ट आफ भवन सं० ४४६५ एवं ३४३/४४१ नीम सराय परगना। वह तहसील-सदर जिला इलाहाबाद जोन क्षेत्र (१) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक भवन मानचित्र के विनियमितीकरण एवं नियम की अनुमति नियांकित ग्राहिकाओं के अंतर्गत प्रदान कीया जाता है :-

१. उपर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा १५ए (१) के प्रतिक्रिया के अनुभव पूर्णता प्राप्त या आप होने के परवाया है उपर्योग/अधिकारों के लिया जाते। भवन नियम इन विकास अधिनियम 2006 में उपर्योग-२.१.८ एवं ३.१.८ ने निर्धारित प्रत्येक दूर्घ कर पूर्णता प्राप्त भवन प्राप्त करा। आपशबक है।
२. अद्य स्वीकृत अनियम (Provisional) स्वीकृति के लिए यहाँ लिया जाने के लिए उपर्योग-२.१.८ कर पूर्णता प्राप्त करने के लिए जाने वाले "पूर्णता प्राप्ता" -पत्र प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर की गस्तवाक रपोर्ट ने लाया जा सकता।
३. रामित उपर्योग की लिया जाने के लिए उपर्योग पर मानप्रति रद्द नियस्त शान्ता जायेगा।
४. स्थल पर ४५३ फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृत सम्बन्धी दिवाल उक्त करना होगा।
५. स्थल पर ०१ तृष्ण उपर्योग होने तथा दूजों को रहा भरा रखने का अधिकार अदेदक कर होगा।
६. स्थल पर नामक आनंदित विकास कार्य सार पूर्ण कर लकड़ का संयोजन Existing Services से करना होगा।
७. स्थल का अधिकोग/उपर्योग रायिकृत प्रश्नालय के अनुभव ही अनुमत्य होगा।
८. सलमन स्वीकृत मानचित्र में ऐसे रोग से दरिंदा हु-वी डेंगोलेर भवन को मानचित्र प्राप्ति के १५ दिनों के अन्दर रद्द भवता कराकर प्राप्तिकरण लो सुनिया करना होगा। इस क्षेत्र में नये १०४४ पत्र दिनांक २०.१२.२०११ को काराराश अनुगालन लगना होगा।
९. यदै अपेक्ष द्वारा पोइंट मर्डल्यूपौ शूपना लियाई गयी है अपना गलत सूचना दी गयी है तो उपर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा १६ (३) के अन्तर्गत मानचित्र नियस्त करने योग्य होगा।
१०. यदै स्वीकृत उपर्योग के लिए यहाँ दूसरे की आवधि ले लिए है। यदि ग्रूपडॉल लैप-विमालन अवधि मानक दूसरे ग्रूपडॉल इत्यादि का उत्तिकृष्ण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इन्हींने १० दूसरा नियमनुसार उपर नगर नियोजन एवं नियमितीकरण 1973 की उपसामान भवनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
११. यकान। नियम से यदि नामों के लिए लोग पहली अध्याय संहिता या नाली के किसी भाग (जो यकान के लिए लोगों को लाना चाहिए) उपराके शाक-८ के कारप उल गई है) को जानि पहुंच हो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर १५ दिन से भीतर अद्याय यदै विकास प्राप्तिकरण ने एक दोहिता शूलना द्वारा और दूसरे कहा हो पहले ही उपरे अपने खर्च से भवनात कराकर पूर्वत् अवस्था जिससे विकास प्राप्तिकरण लो रात्मांग हो जाय, मैं २२ होगा।
१२. यह नियम के दूसरे इसका भी ज्ञान रखना होगा कि मन्त्रीय द्वितीय अधिनियम 1996 (अधिनियम इलेक्ट्रोनिक्स रुप्त्त १९८८) नियम ३२ का उल्लंघन दिल्ली भी दूसरा हो जाना चाहिए। यदि विकास प्राप्तिकरण की लानकारी में ऐसे न भूले पाये गये तो वह दूसरे नियम को लेकर अध्याय हृष्ट्य राकहा है।
१३. आदेदक को नियमनुसार विकास प्राप्तिकरण को यकान की नीत तक तथा छठा तक वन जाने एवं उसके पूर्ण तो जाने को भूलना ज्ञान आवधि जोन से पूर्ण देना होगा तथा उस आदेदक का नाम भी देना होगा जिसके नियोजन में यकान निर्मित हुआ है।
१४. यदै नियम में भास्त्र लान का उल्लंघन होता भावा नामा तो नियमितीकरण द्वारा गई स्वीकृति रद्द समझी जाएगी और किया जाय नियम अनियोजित घोषित कर उपर अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत लापूर्वकी अरम्भ की जायेगी।

(संग्रहीत)

रायुक्त सचिव/प्र०अ०-भवन

इलाहाबाद विला० प्राप्तिकरण,

हल हावाद

जनवरी की स्थाप्ति प्राप्ति विभाग  
ज्यूप्ट, कीर्तन विभागी वास्तवी जेठा वेश्वरनी  
६-६-२०१२

